Research Journal of Language, Literature and Humanities ISSN 2348-6252
Vol. **1(2),** 8-10, March **(2014)** *Res. J. Lang. Lit. Humanities*

जनगणना का प्रशासनिक एवं ऐतिहासिक स्वरूप

ममता घोरमारे ए. और सी.एम.मिश्र
शासकीय टी.आर.एस. स्वशासी महाविद्यालय रीवा 486001, म.प्र., भारत

Available online at: www.isca.in, www.isca.me
Received 31st January 2014, revised 13th February 2014, accepted 18th March 2014

Abstract

हमारा भारत एक विशाल प्रजातांत्रिक देश है। इसकी जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ से अधिक है, जो 35 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों, 640 जिलों, 5924 तहसीलों/तालुकों, 7936 कस्बों, तथा 6.41 लाख गांवों में निवास करती है । इतने विस्तृत क्षेत्र में विस्तारित इतनी बड़ी जनसंख्या की गणना करना एक कठिन एवं श्रम साध्य कार्य था । किन्तु इसे भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त डॉ. सी. चन्द्रमौलि के नेतृत्व में 20 लाख से अधिक प्रशिक्षित प्रगणकों/ पर्यवेक्षकों एवं अधिकारियों ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया है।

Keyword: जनगणना, पर्यवेक्षक, चरण, प्रगणक, देश, धर्म।

प्रस्तावना

भारत में प्रत्येक दस वर्षो के अंतराल में जनगणना का कार्य सम्पन्न किया जाता है । आधुनिक काल में भारत विधिवत जनगणना की शुरूआत सन् 1872 में हुई थी, परन्तु यह देश के विभिन्न भागों में अलग–अलग समय पर सम्पन्न की गयी थी । सन् 1881 से सम्पूर्ण देश में समकालिक जनगणना की जा रही है । भारती की जनगणना 2011 इस श्रृंखला की 15वीं और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 7वीं जनगणना है।

जनगणना द्वारा अनेक महत्वपूर्ण समाजिक–आर्थिक एवं जनसांख्यिकी विषयों पर आकड़े एकत्रित कर प्रकाशित किये जाते हैं । भारत की जनगणना को न सिर्फ विश्व को बृहत्तम प्रशासनिक कार्य माना जाता है, बल्कि विश्व श्रेष्ठतम जनगणना भी मान्य किया जाता है । जनगणना अधिनियम 1948 एवं संशोधित अधिनियम 1993 तथा जनगणना नियम 1990 एवं सेंशोधित नियम 1994 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत जनगणना सम्पन्न की जाती है ।

प्रशासनिक कार्य

प्रत्येक राज्य मुख्यालयों में स्थित जनगणना निदेशालय में जनगणना संचालन के लिए एक जनगणना कक्ष स्थापित होता है । इस कक्ष के द्वारा सर्वप्रथम दशक के दौरान राज्य/ जिला/ तहसील/ ब्लाक/ गॉव एवं नगरों की सीमाओं में हुए क्षेत्राधिकार परिवर्तन को उद्यतन करते हुए राज्य का ग्रामीण एवं नगरीय फ्रेम एक निश्चित तिथि पर तैयार किया जाता है। जनगणना सम्पन्न करने के लिए प्रथमतः भारत सरकार द्वारा आवश्यक अधिसूचना जारी की जाती है । इन अधिसूचनाओं को राज्य के राजपत्रों में पुनः प्रकाशित किया जाता है ।

नियुक्तियाँ

अगले क्रम में जिलों ग्रामीण, नगरीय स्थानों में जनगणना कार्य सम्पन्न करने हेतु राज्य शासन ने विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार प्रगणक/ प्रयवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है । जनगणना के प्रथम चरण में तथा माकानसूचीकरण का कार्य सम्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी मकानों में जनगणना नम्बर दिये जाते हैं । मकान नम्बरिंग का कार्य सम्बन्धित क्षेत्र के अधिकारी द्वारा किया जाता है । इसके पश्चात् मकानसूचीकरण कार्य के लिए प्रत्येक अधिकारी द्वारा रजिस्टर तैयार किया जाता है एवं इसके माध्यम से प्रगणक/ पर्यवेक्षकों को विशिष्ट क्षेत्र जनगणना कार्य हेतु आवंटित किया जाता है। रजिस्टर वस्तुतः सम्पूर्ण जनगणना कार्य के लिए आवश्यक नियंत्रण रजिस्टर होता है । जिसमें बनाए गए गणना ब्लाक, नियुक्त किए गये प्रगणक/पर्यवेक्षक का विवरण आदि समाहित होता है।

प्रशिक्षण

जनगणना के सफल संचालन के लिए प्रशिक्षण का बहुत महत्व होता है। जनगणना का प्रशिक्षण कई स्तरों पर आयोजित किया जाता है । इसके अन्तर्गत राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय, ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। विभिन्न स्तरीय प्रशिक्षण में प्रगणक/ पर्यवेक्षक को एक से अधिक चक्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है एवं अंतिम चक्र में फील्ड कार्य हेतु सामाग्री का वितरण किया जाता है । फील्ड कार्य हेतु आवश्यक सभी सामाग्री अनुदेश पुस्तिका एवं अनुसूचियों का युक्तियुक्त आकलन, छपाई एवं वितरण भी जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण कार्य है।

प्रचार–प्रसार

जन सामान्य के सहयोग हेतु प्रचार–प्रसार के विभिन्न प्रयास भी जनगणना निदेशालय द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं । इसके अंतर्गत होर्डिंग्स, बेनर, समाचार पत्रों में संदेश, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के कार्यक्रमों में प्रसारण एवं अन्य माध्यमों से जनसामान्य को सही जानकारी देने के लिए प्रयास किये जाते हैं।

फील्ड कार्य

फील्ड कार्य के दौरान भरी गई अनुसूचित जनगणना निर्देशालय में प्राप्त होते ही निदेशालय के डाटा सेंटर टेक्नालॉजी द्वारा अनुसूचियों की स्केनिंग की जाती है। प्रथम चरण के फील्ड कार्य के पश्चात फील्ड कार्य की गुणवत्ता एवं अशुद्धियों के आकलन हेतु सैम्पुल के आधार पर इस निदेशालय द्वारा गणना उपरांत सर्वेक्षण का कार्य भी कुछ चयनित इकाईयों में सम्पन्न किया जाता है, जिससे प्राप्त किये गये आकड़ों को एकत्र करने का कार्य किया जाता है।

द्वितीय चरण

इस प्रकार द्वितीय चरण तथा जनसंख्या की गणना के लिए भी आवश्यक कार्यवाही जैसे संशोधित रजिस्टर तैयार करना, आवश्यक अधिसूचनाओं को राज्य शासन द्वारा पुनप्रकाशन, प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को पुर्ननियुक्ति सहित सभी स्तर के अधिकारियों के प्रशिक्षण, आवश्यक प्रचार–प्रसार सामाग्री का वितरण, द्वितीय चरण के फील्ड कार्य का पर्यवेक्षण आदि समस्त कार्य जनगणना निदेशालय द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं । जनगणना का कार्य

अत्यन्त व्यापक होता है । दशाब्दिक जनगणना के दौरान निदेशालय के सभी कक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनगणना कार्य से संबद्ध होते हैं। तथापि जनगणना की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में केन्द्र सरकार को देश की जनगणना करने का अधिकार दिया गया । स्वतंत्रता के बाद 1948 में ''जनगणना अधिनियम'' पारित किया गया, तथा 1961 जनगणना की महत्ता को देखते हुए गृह मंत्रालय के अधीन ''जनगणना विभाग'' का गठन किया गया केन्द्र स्तर पर इस विभाग का शीर्ष अधिकारी ''महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त'' कहलाता है । राज्य स्तर पर कार्य करने के लिए प्रत्येक राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में 05 '' स्थायी जनसंख्या निदेशालय'' की स्थापना की गयी जिसका प्रमुख ''जनगणना निदेशक'' कहलाता है । क्षेत्रीय स्तर पर जनगणना के सहायोग के लिए ''क्षेत्रीय उपनिदेशक'' जिला स्तर पर ''जिलाधीश'' तथा महापालिका स्तर पर ''मुख्य नगर अधिकारी'' को जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य भार सौंपा जाता है । इसके बाद ''उपजिलाधिकारी'' तहसीलदार को जनगणना के पर्यवेक्षक एवं निर्देशन का कार्य सौंपा जाता है । इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी ''प्रगणक'' होता है जो जनगणना का वास्तविक कार्य करता है ।

जनगणना का प्रमाण प्राचीनकाल रोमन साम्राज्य में ''कैडेस्ट्रल सर्वे'' के रूप में मिलता है 1500 ई. पू. मूसा द्वारा इजरायल के निवासियों की जनगणना तथा 1595–96 में अबुल फजल द्वारा रचित 'आइने अकबरी' में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है ।

सर्वप्रथम आधुनिक पद्धति द्वारा जनगणना 1749 में स्वीडन ने कराया था। 1890 में सर्वप्रथम दशकीय जनगणना अमेरिका में कराया गया । पहली बार 1872 में ब्रिटिश भारत में लार्ड, मेयो के कार्यकाल में जनगणना कराई गई । इस प्रकार 1872 की जनगणना को शामिल करते हुए अबतक भारत में 15 जनगणना हो चुकी है । वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना तथा स्वंतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है ।

तलिका–1
भारत की जनगणना (1951–2011) के अंतिम आकड़े के अनुसार

वर्ष	जनसंख्या (हजार)
1951	361088
1961	439235
1971	548160
1981	683329
1991	846421
2001	1028737
2011	1210193

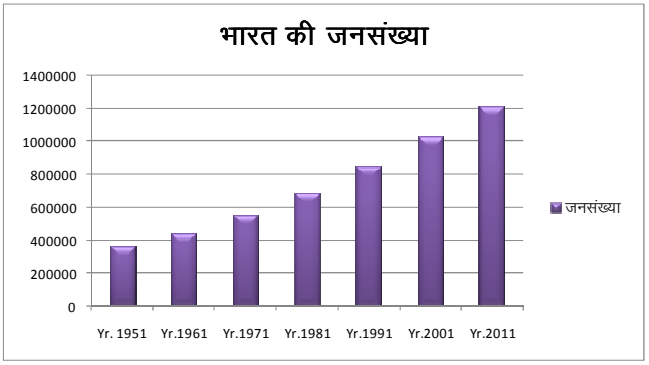

ग्राफ–1
शीर्ष पॉच राज्यों की जनसंख्या (2011)

विश्लेषणः उपरोक्त तालिका एवं ग्राफ से पता चलता है कि भारत की जनगणना 1951 से 2011 तक लगातार बढती रही है।

तालिका–2
शीर्ष पाँच राज्यों की जनसंख्या (2011)

क्रमांक	राज्य	जनसंख्या
1.	उत्तर प्रदेश	19.98 करोड़ (16.51:)
2.	महाराष्ट्र	11.237 करोड़ (9.28:)
3.	बिहार	10.409 करोड़ (8.60:)
4.	पं. बंगाल	9.127 करोड़ (7.54:)
5	आन्ध्र प्रदेश	8.458 करोड़ (6.99:)

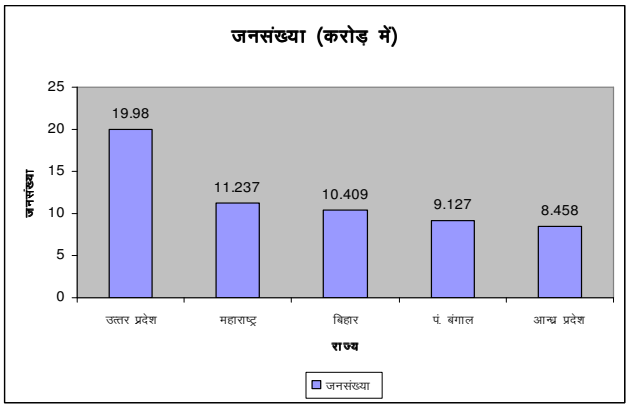

ग्राफ–2

विश्लेषणः उपरोक्त तालिका एवं ग्राफ से पता चलता है कि 15वीं जनगणना एवं स्वंतत्र भारत की 7वीं जनगणना के अनुसार शीर्ष पॉच राज्य निम्नानुसार हैं

तालिका–3
शीर्ष पॉच केन्द्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या (2011)

क्रमांक	केन्द्र शासित प्रदेश	जनसंख्या
1.	दिल्ली	16787941
2.	पांडिचेरी	1247953
3.	चण्डीगढ़	1055450
4.	अंडमान निकोबार	380581
5	दादर नगर हवेली	343709

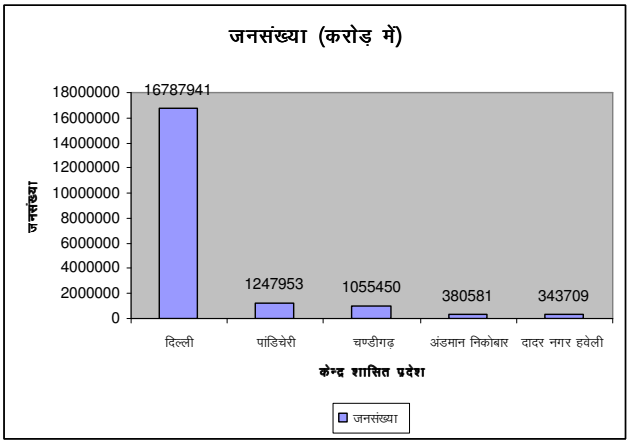

ग्राफ–3

विश्लेषणः उपरोक्त तालिका एवं ग्राफ से पता चलता है कि जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष पॉच केंन्द्रषासित प्रदेष कमषः दिल्ली, पांडिचेरी, चण्डीगढ, अंडमान निकोबार, दादरनगर हवेली की है

निष्कर्ष

भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5ः है, जो कि विश्व में चीन (19.4ः) के बाद दूसरे स्थान पर है । 31 मार्च 2011 को ''हमारी जनगणना हमारी भविष्य'' शीर्षक वाक्य के साथ जनगणना 2011 के अंतिम आकड़ों को गृह सचिव ''जी.के.पिल्लै'' की उपस्थिति में महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त डॉ. सी. चन्द्रमौली ने जारी किया तथा पुनः 31 मार्च 2013 को 15वीं जनगणना के अंतिम आकड़े और 30 अप्रैल 2013 को अंतिम आकड़े जारी किये गये। 15 जुलाई 2013 को ग्रामीण शहरी जनसंख्या वितरण के आकड़े जारी किये गये तथा धर्म और विकलांग जनसंख्या से संबंधित कोई भी आंकड़ा अभी 15वीं जनगणना का आधार पर नही जारी किया गया है।

भारत मूलतः गांवों का देश है। इस देश में कुल 6.41 लाख ग्राम हैं, जहॉ देश की 68.84 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। 2001 में भारत की जनसंख्या 102.87 करोड़ थी जो 2011 तक बढ़कर 121.05 करोड़ हो गयी। इस प्रकार 2001 से 2011 के दौरान 18.2 करोड़ की वृद्धि हुई है ।

संदर्भ ग्रंथ

1. भारत की जनगणना वर्ष 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, **(2011)**
2. माजिद हुसैन, भारत एवं विश्व का भूगोल, टाटा मेग्राहिल–एजुकेशन प्रा.लि. **(2012)**
3. Situation Analysis of Elderly in India **(2011)**
4. जी.के. अग्रवाल, अनुसंधान विधियॉ एवं सांख्यिकीय, साहित्य भवन आगरा **(2012)**
5. घटनाचक्र अतिरिक्तांक, सम–सामयिक घटना चक्र प्रा.लि. 188ए/128 एलनगंज, चर्चलेन, इलाहाबाद–211002 **(2013)**
6. पाण्डेय एस.एस., समाजशास्त्र, टाटा मेग्राहिल–एजुकेशन प्रा.लि. **(2012)**
7. भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित **(2006)**